

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-20/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० शशि रंजन सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण के दिनांक-29.10.2022 से 09.01.2023 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-29.10.2022 से 22.11.2022 तक कुल-25 दिन	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)
ii.	दिनांक-23.11.2022 से 30.12.2022 तक कुल-38 दिन	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग, मुख्यालय में)।
iii.	दिनांक-31.12.2022 से 09.01.2023 तक कुल-10 दिन	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-20/2025- 200(2) पटना, दिनांक 2/2/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र स्टेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/डा० शशि रंजन सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Wahank Shalab
सरकार के उप सचिव।
2